

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, रायपुर

(छ.ग. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक (वि./ले.)

तृतीय-तल विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)

फोन 0771-2574110, 2574334, 2574598 (CIN : U40100CT2008SGC020994)



क्रमांक 05-06/वाहन/1163

दिनांक - 30.3.22

// निविदा सूचना //

निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदा इच्छुक वाहन मालिकों से मारुति ब्रिजा अथवा समकक्ष कार को किराये के आधार पर लगाये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित है।

क्र	कार्य का नाम	वाहन का प्रकार	अनुमानित लागत राशि	सुरक्षा निधि	बयाने की राशि	निविदाकारों की श्रेणी	कार्य की अवधि
01	अति महाप्रबंधक कार्यालय महाप्रबंधक (वि./ले.), छ०स्टे०पॉ०ट्रेडिंग०कं०लिमि०, रायपुर के कार्यालयीन उपयोग हेतु किराये पर मारुति ब्रिजा अथवा समकक्ष वाहन प्रदाय करने बाबत।	मारुति ब्रिजा अथवा समकक्ष	9.6 लाख	आदेशमूल्य का 10%	9,600/-	"वाहन मालिक" या "वाहन मालिक द्वारा अधिकृत व्यक्ति"	02 वर्ष

निविदा प्रपत्र का मुल्य रू-354/- मात्र तथा निविदा क्रय हेतु अंतिम तिथि : 18/04/2022, दोपहर - 02:30 बजे तक, निविदा जमा करने की तिथि 18/04/2022, 02:30 बजे एवं खुलने की तिथि 18/04/2022, 03:00 बजे।

नियम व शर्तें :-

- इच्छुक वाहन मालिकों को ही आवेदन पत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आवंटित ई.पी.एफ. कोड धारी ठेकेदार को ही वांछित प्रमाण-पत्र तथा RBI के निर्देशानुसार केवल CTS मांग पत्र/PO ही मान्य होगा। जो कि AM (CAU), CSPTradCL, Raipur को देय तथा निविदा आमंत्रण तिथि या उसके बाद जारी किया गया हो, उपलब्ध कराने पर ही निविदा प्रपत्र, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से जारी किये जावेंगे।
- पूर्ण निविदा, दस्तावेज बयाने की राशि सहित, केवल डी.डी. के रूप में जो कि AM (CAU), CSPTradCL, Raipur को देय तथा निविदा आमंत्रण तिथि या उसके बाद जारी किया गया हो, तथा RBI के निर्देशानुसार केवल CTS मांग पत्र/PO ही मान्य होगा। निविदायें, निविदा जमा करने की तिथि 18.04.2022 को 14.30 बजे तक जमा की जा सकती हैं। निविदायें, निविदा खुलने की तिथि 18.04.2022 को 15:00 बजे खोली जावेंगी। निविदा के अनुरूप बयाने की राशि अलग सील बंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए। इस लिफाफे को संबंधित निविदा प्रपत्र के सील बंद लिफाफे के ऊपर संलग्न किया जाना चाहिए। बयाने की राशि के अभाव में कोटेशन खोला नहीं जावेगा।
- आवेदन की अंतिम/निविदा विक्रय की तिथि जमा/खुलने की तिथि पर कार्यालयीन अवकाश होने की स्थिति में कार्यवाही अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर की जावेंगी।
- किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्णतः अमान्य करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- वस्तु एवं सेवाकर 01 जुलाई 2017 से प्रभावशील हो गया है। बिना GSTN पंजीयन प्रमाण-पत्र के, निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- निविदा तिथि में वृद्धि/संशोधन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट "www.cspc.co.in" का अवलोकन करें।

अति महाप्रबंधक (वि./ले.)
छ.ग.स्टेट.पा.ट्रे.कं.लिमि., रायपुर


सामान्य शर्तें :-

1. वाहन का उपयोग ~~करना~~ अति महा प्रबंधक, कार्यालय महाप्रबंधक, छ०स्टे०पॉ०ट्रे०क०लि०मि० रायपुर के कार्यालयीन कार्य हेतु रायपुर शहर अथवा छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पर भी किया जावेगा । वाहन का उपयोग वाहन लगाने की तिथि अथवा अनुबंध की तिथि, से दो वर्ष के लिये किया जावेगा। अनुबंध की अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। वाहन चालन की मासिक दर 1000 कि.मी. के लिए एवं उससे कम व अधिक चलाने की दर अलग-अलग दर्शायी जावे। वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।
2. वाहन किराये पर लिये जाने की दरें एवं वाहन का प्रकार, मेक, माडल, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन का किराया प्रतिमाह 1000 कि.मी. तक तथा 1000 कि.मी. से अधिक एवं 1000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर निर्धारित परिशिष्ट-तीन में ही भरें ।
3. यदि निविदाकर्ता द्वारा, निविदा के अन्तर्गत नवीन वाहन खरीदकर कंपनी में किराए पर लगाना है, तब वह कृपया परिशिष्ट-तीन में नवीन वाहन खरीदना स्पष्टतः दर्शायें। वाहन लगाने के पूर्व इस कार्यालय को कंपनी के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से वाहन खरीदने का साक्ष्य प्रेषित करें। यदि निविदाकर्ता द्वारा वर्तमान में उपलब्ध वाहन को निविदा के अन्तर्गत किराए पर लगाना है, तब वाहन का रजिस्ट्रेशन (टेक्सी कोटा मे) एवं इन्श्योरेंस की फोटोकापी अपने निविदा के साथ संलग्न करें ।
4. कटिंग/ओवर राइटिंग पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होने की स्थिति में निविदा को अमान्य किया जावेगा। निविदा के अनुरूप बयाने की राशि अलग सील बंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिये। इस लिफाफे को संबंधित निविदा प्रपत्र के सील बंद लिफाफे के ऊपर संलग्न किया जाना चाहिये। उपरोक्त प्रकार से निविदा प्राप्त नहीं होने पर निविदा को अस्वीकार किया जावेगा।
5. निविदा खोलने के उपरांत न्यूनतम दर प्रदाता फर्म को 07 दिवस के भीतर वाहन को निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । निरीक्षणोपरांत स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किया जावेगा।
6. निविदा अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने योग्य वाहन मालिक को किराये हेतु कंपनी से अनुबंध करने अथवा वाहन लगाने से पूर्व एक वर्ष के परिचलन मूल्य के समतुल्य राशि का 10 प्रतिशत राशि डीडी/बैंकर्स चेक/एफ.डी.आर के माध्यम से सुरक्षा निधि के रूप में (जिस पर ब्याज देय नहीं होगा) कंपनी के पास जमा करना होगा। फर्म के निवेदन पर सुरक्षा निधि की कटौती उनके प्रथम तीन देयकों से भी की जा सकेगी। सुरक्षा निधि की वापसी सफलतापूर्वक अनुबंध की समाप्ति पर किया जायेगा। आदेश की कड़िकाओं का उल्लंघन करने पर उक्त सुरक्षा निधि को राजसात किया जा सकता है ।
7. अनुबंध करने के समय आदेशित फर्म द्वारा टेक्सी कोटा के रजिस्ट्रेशन एवं इन्श्योरेंस की मूलप्रति को इस कार्यालय में अवलोकन हेतु छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. प्रस्तुत निविदा पर अपना सही पता टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें ताकि कंपनी द्वारा आपसे पत्राचार किया जा सके। गलत अथवा अपूर्ण पता होने के कारण पॉवर कंपनी के द्वारा भेजे गये पत्र एवं सूचना के न मिलने पर पॉवर कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी ।
9. वाहन किराये पर लेने संबंधी विशेष नियम एवं शर्तें परिशिष्ट-दो मे संलग्न है।
10. आदेशित कार्यावधि के दौरान ईंधन के मूल्य में कमी/बढ़ौतरी होने की स्थिति में आदेशित दर का पुनरीक्षण किया जावेगा।
11. पॉवर कंपनी को यह अधिकार है कि किसी भी परिस्थिति में निविदा खोलने संबंधी कार्यवाही आवश्यकतानुसार निरस्त की जा सकती है एवं पॉवर कंपनी द्वारा इस पर पुनः कार्यवाही की जा सकती है।
12. संचार व्यवस्था में अपरिहार्य कारणों से हुए विलंब की कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी ।
13. वाहन चालक द्वारा कार्य पर अनुपस्थित होने पर प्रतिदिन प्रति वाहन चालक रु. 500/- की कटौती विल में से की जावेगी व पॉवर कंपनी वाहन को किसी अन्य वैध ड्राइविंग लायसेंस धारी सक्षम वाहन चालक से वाहन चलवाने के लिए स्वतंत्र होगी।
14. निविदाकर्ता फर्म के लिये यह आवश्यक होगा कि वह निविदा के समस्त पृष्ठों पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ इस कार्यालय से जारी मूल प्रपत्र में ही भरकर जमा करें ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

15. निविदा अन्तर्गत वाहन सेवा हेतु फर्म को जारी कार्य आदेश की किसी भी शर्त का उलंघन पाये जाने पर अथवा फर्म द्वारा संतोपजनक सेवा उपलब्ध न कराने पर ट्रेडिंग कंपनी द्वारा 30 दिवस का नोटिस जारी कर कार्य आदेश को निरस्त किया जा सकेगा।
16. निविदाकर्ता द्वारा "प्राइस बिड" में दी जाने वाली दरों में, यदि जीएसटी लागू हो तो जीएसटी की गणना पृथक से दर्शावें। निविदाकर्ता को लगने वाले सेवाकर का शासन को भुगतान करने के पश्चात प्राप्त रसीद इस कार्यालय में जमा करने पर ही, जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। जीएसटी संबंधी परिशिष्ट-तीन को पूर्ण रूप से भरकर कृपया दस्तावेजों के लिफाफे के साथ जमा करना होगा।
17. वाहन के किराए हेतु प्रस्तुत सभी देयकों में से आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी। वित्तीय वर्ष के पश्चात अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त कटौती का टी.डी.एस. प्रपत्र संबंधित वित्त विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
18. पेन कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।

भवदीय,



अति महाप्रबंधक (वि./ले.)
छ.ग.स्टेट.पा.ट्रे.कं.लिमि., रायपुर


**किराए पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु
विशेष नियम एवं शर्तें**

- (1) वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।
- (2) वाहन का पंजीकरण वाहन मालिक के नाम पर होना चाहिए।
- (3) वाहन का शासकीय कर एवं बीमा पालिसी इत्यादि का भुगतान पूर्ण होना चाहिए। वाहन की बीमा पालिसी में पैरोन्जर का इन्श्योरेंस होना आवश्यक है एवं वाहन का पंजीयन तथा बीमा के अद्यतन दस्तावेज की छायाप्रति भावपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है। नया वाहन होने के स्थिति में उपरोक्त दस्तावेज की छायाप्रति वाहन लगाये जाने के पश्चात् जमा कराना आवश्यक है ।
- (4) वाहन की दरें चालक, पेट्रोल/डीजल, आयल एवं अन्य व्ययों सहित दी जानी चाहिए (परिशिष्ट-तीन का अवलोकन करें)।
- (5) वाहन किराये पर लेने के पश्चात्, वाहन या वाहन चालक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। वाहन मरम्मत का संपूर्ण भार, वाहन मालिक को वहन करना होगा । जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा देय नहीं होगी ।
- (6) वाहन के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् ही अनुबंधित किया जावेगा।
- (7) किसी भी माह में वाहन के उपयोग में कुल 24 घंटे से अधिक समय तक व्यवधान नहीं होना चाहिए। वाहन को 24 घंटे से अधिक खराब रहने की स्थिति में वाहन मालिक को दूसरे समकक्ष वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ।
- (8) वाहन दुर्घटना की स्थिति में भी समकक्ष वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा वाहन अनुपलब्ध माना जायेगा एवं अनुपलब्धता के नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- (9) वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर एवं किसी भी माह में वाहन के उपयोग में कुल 24 घंटे से अधिक व्यवधान की स्थिति में वाहन के मासिक देयक से अनुपस्थित अवधि के लिए स्वीकृत समानुपाती दर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना सहित कटौती की जाएगी ।
- (10) वाहन 24 घंटे कंपनी की सेवा में ही रहेगा तथा नियंत्रक अधिकारी के आदेशानुसार वाहन का चालन होगा।
- (11) कंपनी को यह अधिकार होगा कि आपात स्थिति में कंपनी के वाहन चालक/वैधानिक वाहन चालक से वाहन चलवा सके।
- (12) चालक की अनुपस्थिति में वाहन को अनुपलब्ध माना जा सकता है एवं कण्डिका (9) के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
- (13) वाहन के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
- (14) वाहन किराये के बिल का भुगतान, बिल जमा करने के 30 दिन के अन्दर सामान्यतः कर दिया जाता है। अपरिहार्य विलंब के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी तथा कोई अतिरिक्त शुल्क मान्य नहीं होगा।
- (15) वाहन चालक को पर्याप्त राशि ईंधन एवं आपात कार्य हेतु देय होगी। वाहन में समय पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी ।
- (16) वाहन किराये पर देने हेतु रू. 300/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना आवश्यक होगा। अनुबंध पर लगने वाले गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर का मूल्य वाहन मालिक को वहन करना होगा।
- (17) टोल टेक्स/पार्किंग शुल्क का भुगतान प्रथमतः वाहन मालिक द्वारा देय होगा, जिसे वास्तविक मूल्य पर संबंधित माह के मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।
- (18) वाहन का चुनाव एवं निरस्तता के लिये कंपनी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (19) वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना चाहिए। वाहन चालक को मृदुभाषी तथा अच्छा व्यवहार/आचरण का होना चाहिए । इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर वाहन चालक बदलकर अच्छे वाहन चालक को नियुक्त करना होगा। चालक के वैध लाइसेन्स की छायाप्रति इस कार्यालय में जमा करानी होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

- (20) वाहन चालकों को वाहन के नियंत्रक अधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार कर्तव्य निर्वहन करना होगा ।
- (21) किसी भी माह में वाहन सिर्फ एक दिवस रखरखाव हेतु दिया जावेगा, रखरखाव के लिए वाहन किस दिन दिया जाना है, इसका निर्णय नियंत्रक/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जावेगा ।
- (22) वाहन चालकों के पास मोबाईल फोन भी उपलब्ध रहना चाहिए। इस हेतु पॉवर कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। वाहन चालक को न्यूनतम वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से नियमानुसार किया जाना आवश्यक है ।
- (23) वाहन केवल निर्धारित ईंधन पर चलाना स्वीकार किया जायेगा। वाहन का चालन अन्य किसी भी वैकल्पिक ईंधन पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (24) कंपनी किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा । GST का उल्लेख दिए गए कॉलम में करें।
- (25) वाहन चालक को वाहन मालिक द्वारा पहचान पत्र जारी करना होगा।
- (26) वाहन यदि वित्तीय संस्था की मदद से खरीदा गया है तो प्रत्येक देयक के साथ विगत किश्तों की अदायगी का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित माह के देयकों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- (27) अनुबंधित अवधि के दौरान वाहन पर "ON C.S.P.Trad.C.L. DUTY" अंकित करवाया जाये एवं अनुबंधित अवधि उपरान्त उक्त शब्दों को हटाया जाना अनिवार्य होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील


अति महाप्रबंधक (वि./ले.)
छ.ग.स्टेट.पा.ट्रे.कं.लिमि., रायपुर

वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दरें

निविदा क्रमांक : 02-16/वाहन/181/2478

दिनांक .15.03.2022

क्र	वाहन का विवरण				वाहन का किराया		
	वाहन का प्रकार	वाहन का मेक	मॉडल	पंजीयन क्रमांक	1000 कि.मी. चालन के लिए प्रतिमाह दर रूपये	1000 कि.मी. से अधिक चालन के लिये दर रूपये प्रति किलोमीटर	1000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर रूपये प्रति कि.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
3.	GST Extra						

नोट : -

1. GST की देय राशि का नियमानुसार देयक से कटौती कर संबंधित विभाग को सीधे जमा किया जावेगा।

Please provide following information also.

Sl. No.	Particure	Detail
1.	PAN No. (copy to be enclosed)	
2.	Mobile No./Phone No.	
3.	GST No. (copy to be enclosed)	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम -

पता -

कार्यालय -

निवास -

फोन कार्यालय -

निवास -

मोबाईल -

Other Terms and Conditions

Revision in hiring charges will be permitted for any changes in the minimum wages of driver. EPF/ESIC/Bonus rates and fuel prices with respect to, as the case may be, the driver wages, statutory payment rates and fuel price in force on the date of opening of bids as follows:-

(A) Revision (upward or downward) on account of change in the price of fuel :-

83 paisa per KM for change in the price of fuel by Rs. 10 (Ten) per liter.

This revision will be allowed at the end of each of the four quarters (1st quarter of F.Y. will be commence from 1st April of the F.Y.) based on the average fuel price for relevant quarter.

The average fuel price for each quarter will be reviewed and declared by ED/GM (Fin), CSPHCL and posted in the Power Companies' website timely.

In the event of part quarter, i.e. the quarter in which date of commencement or conclusion of contract fall, no variation shall be allowed if part-quarter covered by the contract is less than 45 days. If the is equal to more than 45 days, the average fuel price posted for the quarter shall be considered for computation of claims for such part quarter.

(B) Revision on account of revision in minimum wage of driver:

Addl. payment due to revision in minimum wages

$$= \frac{(L2-L1) \times \text{Days of run as per contract}}{\text{Number of days in the month}}$$

Number of days in the month

Where: -L1 = Monthly minimum notified wage of driver on the date of opening of tender.

L2 = Monthly minimum notified wage of driver on the month for which payment is to be made.

(C) Revision on account of EPF, ESIC and Bonus:

$$\text{Addl. payment} = \frac{(L2-L1) \times 1.2458 \times \text{Days of run as per contract}}{\text{Number of days in the month}}$$

Where:- L1 = Monthly minimum notified wage of driver on the date of opening of tender

L2 = Monthly minimum notified wage of driver on the month for which payment is to be made.

The factor 1.2458 is based on the current rates of EPF @ 13%, ESIC @ 3.25% and Bonus @ 8.33%, totaling to 24.58%. In case any of the rates revised the factor will get changed accordingly.

Handwritten Signature

अति महाप्रबंधक (वि./ले.)
छ.ग.स्टेट.पा.ट्रे.कं.लिमि., रायपुर